e-ISSN:2582-7219

# INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 7, Issue 9, September 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.521

© 2024 IJMRSET | Volume 7, Issue 9, September 2024| DOI: 10.15680/IJMRSET.2024.0709039

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

# भारत में पंचायतीराज का विकास, स्वरूप एवं संवैधानिक प्रावधान

**Ashok Kumar Meena, Dr. Rajesh Kumar Sharma**

Associate Professor, Department of Political Science, Government PG College, Kaladera, Jaipur, India

Associate Professor, Department of Political Science, University of Rajasthan, Jaipur, India

**शोध सार :** पंचायतीराज की अवधारणा भारत के लिए नई नहीं है। पूरे देश की जनता विशेष रूप से ग्रामीण जन किसी न किसी रूप में पंचायत प्रणाली की जानकारी तथा अनुभव रखते हैं। पंचायतीराज उस लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी जड़े आम लोगों में मौजूद है। भारत जैसे देश में जहाँ 65 प्रतिशत से अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हो, वहाँ पंचायतीराज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली का महत्व स्वतः सिद्ध तथा सर्वथा असंदिग्ध है।

भारत का अति विस्तृत एवं ग्रामीण परिवेश, आपूरित भू-भाग, कल्याणकारी सरकार के अति विस्तृत कार्य एवं दायित्व, स्थानीय शासन के प्रति प्रतिबद्धता एवं कटिबद्धता आदि वे महत्वपूर्ण प्रशासनिक आयाम हैं जो पंचायतीराज को अति महत्त्वपूर्ण संस्था के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। पंचायतीराज संस्थाएँ राजनीतिक वैधता की प्रक्रिया में मौलिक भूमिका निभाती हैं तथा लोगों में भागीदारी की भावना विकसित करने के अवसर प्रदान करती है।

21वीं सदी में विश्व का विशालतम लोकतंत्रात्मक राष्ट्र भारत समृद्ध समुन्नत तथा जनापेक्षानुकूल प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मूलाधार पंचायतीराज व्यवस्था के सशक्त प्रहरी के रूप विश्व में अपनी पहचान कायम कर सके तथा यथार्थ के धरातल पर आम जनस्वायत्ता व स्वशासन की संवाहक इन संस्थाओं के माध्यम से विकास, कल्याण व निर्णयन एवं सत्ता में अपनी भागीदारी के प्रति सुनिश्चित एवं संतुष्ट हो सके।

इस हेतु स्वतंत्रता के पश्चात् स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र समग्र जन की सत्ता में भागीदारी तथा सम्पूर्ण भारत के संतुलित व तीव्र विकास हेतु पंचायतीराज व्यवस्था स्वीकार्य व व्यवहार में लाने को भारतीय राजनय संकल्प बद्ध हो गया और उस संकल्पबद्धता की परिणिती 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतीराज व्यवस्था के त्रिस्तरीय प्रारूप की शुरूआत से हुई और विकास व परिवर्तन के अनेक पड़ावों से गुजरती 73वें भारतीय संविधान संशोधन में परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार के 23 अप्रैल, 1994 के नवीन संशोधित पंचायतीराज अधिनियम की क्रियान्विति तक अद्यतन यह यात्रा जारी है।

**मूल शब्द :** पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, संवैधानिक संशोधन, सामुदायिक विकास।

## I. परिचय

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधीजी के ग्राम स्वराज्य की उपयोगिता के स्वप्न को साकार करने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान मे अनुच्छेद 40 को सम्मिलित किया। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए कदम उठाएगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकल्प तैयार किये गये।

2 अक्टूबर, 1952 को नेहरू जी के द्वारा पंचायतीराज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के तत्वाधान में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' का आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अधीन विकास खण्ड को इकाई मानकर ब्लॉक में विकास हेतु सरकारी कर्मचारियों के साथ सामान्य जनता को विकास की प्रक्रिया से जोडने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता को अधिकार न दिए जाने के कारण यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया और विफल हो गया। 2 अक्टूबर, 1953 को 'राष्ट्रीय प्रसार सेवा' कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, किन्तु वह भी असफल सिद्ध हुआ।

© 2024 IJMRSET | Volume 7, Issue 9, September 2024| DOI: 10.15680/IJMRSET.2024.0709039

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

## II. पंचायतों से सम्बन्धित गठित समितियाँ

स्वतंत्रता के बाद पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए समय-समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जो इस प्रकार हैं-

### बलवन्तराय मेहता समिति

भारत के ग्रामीण विकास की दिशा में चल रहे विकास कार्यक्रम की गति को तीव्र करने, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने तथा स्थानीय प्रशासन की महत्ता को उत्कृष्ट बनाए रखने के लिए जनवरी 1957 में बलवन्तराय मेहता समिति गठित की गई। इस समिति के सदस्यों एवं सचिव ने ग्रामीण जनता से रूबरू होकर अपनी रिपोर्ट 24 नवम्बर, 1957 को केन्द्रीय सरकार को पेश की। इसमें प्रान्त से नीचे स्तर पर अधिकारों एवं दायित्वों के विकेन्द्रकरण होने की अत्यन्त आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही कहा कि प्रान्त से निचले स्तर की सत्ता ऐसी संस्था को सौंपी जाए, जो अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सभी विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी हो और सरकार का कार्य मात्र उसका मार्गदर्शन, उच्चस्तर की योजना बनाने एवं आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध कराना हो। भारत सरकार द्वारा समिति की उक्त सिफारिशों को स्वीकार किया गया और इन संस्थाओं का नामकरण पंचायतीराज किया गया। आज के पंचायतीराज का अधिकांश स्वरूप बलवन्तराय मेहता समिति की तत्कालीन रिपोर्ट पर ही आधारित है।

इसके बाद पंचायतीराज की स्थापना सबसे पहले राजस्थान राज्य में हुई। 2 सितम्बर, 1959 को राजस्थान विधानमण्डल ने सर्वप्रथम पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम पारित किया और इसके क्रियान्वयन में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतीराज का उद्घाटन कर ग्रामीण विकास के प्रथम चरण की शुरूआत की। पंचायतीराज के क्रम में 11 अक्टूबर, 1959 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने इस व्यवस्था का सूत्रपात आन्ध्र प्रदेश में किया। आन्ध्र प्रदेश में यह प्रणाली 'त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली' के रूप में थी। इसके बाद सन् 1960 में पंचायतीराज असम, कर्नाटक में, सन् 1962 में महाराष्ट्र में, 1964 में पश्चिम बंगाल में और इसके बाद अन्य दूसरे राज्यों में प्रारम्भ हुआ। धीरे-धीरे मेघालय, नागालैण्ड, लक्षदीप व मिजोरम को छोडकर सम्पूर्ण भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों मे पंचायतीराज अस्तित्व में आ गया।

### अशोक मेहता समिति

बलवन्त मेहता समिति के बाद भी यथासमय अन्य कई समितियां पंचायतीराज की उल्लेखनीय प्रगति को त्वरित करने के लिए प्रयासरत रही हैं। इनमें अशोक मेहता समिति एवं राव समिति प्रमुख हैं। सन् 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार ने भारत में पंचायतीराज का मूल्यांकन करने के लिए 12 सितम्बर, 1977 को अशोक मेहता समिति का गठन किया, इस समिति में बिहार, पंजाब तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सदस्य एवं संसद सदस्य शामिल थे। उल्लेखनीय है कि अशोक मेहता समिति में राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर इकबाल नारायण को सदस्य सचिव बनाया गया था।

इस समिति ने सम्पूर्ण भारत में भ्रमण कर पंचायतीराज के सम्बन्ध में विभिन्न लोगों के विचारों को जाना। इसी दौरान मेहता समिति ने एक प्रश्नावली जारी की, जिसे पंचायतीराज में रूचि रखने वाले लोगों से हल करवाई गई। लगभग 1000 लोगों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 अगस्त, 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को प्रस्तुत की। जिसमें विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से कुल 132 सिफारिशें थी। उनमें मुख्य सिफारिशें निम्न थीं-

1. मुख्य पंचायतें - अशोक मेहता समिति ने 'मंडल पंचायतों' की स्थापना के सुझाव प्रस्तावित किए, जिसमें 10-15 गाँव शामिल हों एवं उनकी कुल आबादी 15,000 से 20,000 हो।
2. जिला स्तर पर योजना सेल - जिला स्तर पर एक 'योजना सेल' हो जिसमें एक मानचित्रकार या नक्शानवीस, कृषि वैज्ञानिक, इंजीनियर, अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद्, भूगोलवेत्ता एवं ऋणयोजना अधिकारी होना चाहिए।
3. योजना सेल का पर्यवेक्षण - योजना सेल जिला परिषदों के अन्तर्गत हो तथा इसका पर्यवेक्षण एक मुख्य अधिकारी के द्वारा होना चाहिए।
4. कार्यक्रमों की योजना एवं क्रियान्वयन - जिला परिषदों का कार्य विकास सम्बन्धित कार्यक्रमों की योजना तैयार करना हो और विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मण्डल पंचायतों द्वारा तय होना चाहिए।
5. चुनाव मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से - पंचायतीराज के विभिन्न निकायों का चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से हो एवं इसका सम्पूर्ण दायित्व राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पर होना चाहिए।

© 2024 IJMRSET | Volume 7, Issue 9, September 2024| DOI: 10.15680/IJMRSET.2024.0709039

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

**जे. के. वी. राव समिति, 1985**

व्यावहारिक रूप में अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन को लागू नहीं किया जा सका और वह मात्र अकादमिक महत्व बनकर रह गया। सन् 1985 में ग्राम विकास के लिए विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए, कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो आगे चलकर 'राव समिति' के नाम से चर्चित हुई।

इस समिति ने पंचायतीराज की समीक्षा की और अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि ग्राम विकास कार्यक्रम पंचायतीराज निकाय के सक्रिय क्षेत्रों में पूर्णतः सफल एवं श्रेष्ठतम् रहा है। 'राव समिति' ने चतुर्थ-स्तरीय पंचायतीराज प्रणाली को स्थापित करने की सिफारिश पेश की। इस चतुर्थ-स्तरीय प्रणाली में राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति, मण्डल पंचायत और ग्रामसभा के स्वरूप को विकसित करने का सुझाव दिया गया। राव समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की -

(1) राज्य विकास परिषद् - राव समिति के अनुसार राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद् होनी चाहिए जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री हो। वर्तमान प्रणाली के अनुसार जिला स्तर पर जिला परिषदें बनी रहें। राज्य सरकार के मंत्री और जिला परिषद् के अध्यक्ष राज्य विकास परिषद् के सदस्य हों एवं विकास आयुक्त इसके सचिव हों।

(2) कार्य का विकेन्द्रीकरण - जिला स्तरीय परिषदों में कार्ध् का महत्वपूर्ण विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और जिला स्तरीय सभी विकास के विभाग, उनके अधीनस्थ कार्यालय, जिला परिषदों के अधीन कार्यरत् हों। जिला बजट बनाने के लिए इन विभागों को बजट का हस्तान्तरण किया जाना चाहिए।

(3) कार्यक्रमों का क्रियान्वयन - जिला परिष्दों के मार्ग-निर्देशन में विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से खण्ड स्तर पर निर्वाचित निकाय अथवा पंचायत समिति हो, खण्ड स्तर पर पंचायती निकाय एवं सभी क्षेत्रीय विभाग, पंचायत समिति के अधीन कार्यरत् हों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत समिति की महत्वपूर्ण भूमिका हो।

(4) मण्डल पंचायत का गठन - राव समिति के अनुसार वर्तमान ग्राम पंचायतों के बदले 15,000 से 20,000 तक की आबादी के ग्राम समूहों में मण्डल पंचायत का गठन किया जाए, जिसकी एक कार्यपालक निकाय हो, जिसे मण्डल स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन का भार सौंपा जाए।

(5) ग्राम सभा - प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा हो, जिसमें उस गाँव के सभी सदस्य मतदाता हों। गरीबी को दूर करने की दिशा में पूर्व नियोजित कार्यक्रम, यथा-एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के लाभार्थियों को पहचानने के लिए निर्धारित ग्राम सभा की बैठकों की सुविधाएं हों।

(6) कार्यक्रम क्रियान्वयन उपसमिति - ग्राम पंचायत समिति एवं ग्राम मण्डल की एक उप-समिति हो जिसमें महिलाओं और बच्चों के कल्याण तथा प्रौढ-शिक्षा के कार्यक्रमों और योजनाओं पर विचार करने एवं उनके क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से महिला सदस्य हो।

यद्यपि पंचायतीराज की दृष्टि से राव समिति की उपर्युक्त सिफारिशें थीं, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो सकीं।

**एल. एम. सिंघवी समिति, 1986**

पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा एवं उसमें सुधार के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए सन् 1986 में एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न थीं -

1. पंचायतीराज प्रणाली के कुछ पहलुओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए ताकि इन्हें राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाही के हस्तक्षेप से दूर रखा जा सके।
2. ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

**पी. के. थुंगन समिति, 1988**

सन् 1988 में पी. के. थुंगन की अध्यक्षता में संसद की सलाहकार समिति की उपसमिति गठित की गई। इस समिति ने पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए अनेक सिफारिशें कीं, जिनमें एक मुख्य सिफारिश यह थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

**64वाँ संशोधन विधेयक**

मई 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने पंचायतों से सम्बन्धित 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोक सभा में पारित हो गया, लेकिन राज्य सभा में पारित नहीं हो सका।

**73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992**

22 दिसम्बर, 1992 को लोक सभा तथा 23 दिसम्बर, 1992 को राज्य सभा द्वारा 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। 24 अप्रेल, 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम बना। अधिनियम बनने के एक वर्ष के भीतर सभी राज्यों को अपने पंचायतीराज अधिनियमों में इस संशोधन को ध्यान में रखकर बदलना था, परन्तु राज्य सरकारों ने अपनी पंचायती अधिनियमों को अन्तिम समय सीमा में पारित किया। 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को संविधान के नौवें भाग में शामिल कर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

**73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएँ**

1. ग्राम सभा का गठन - पंचायत व्यवस्था के तहत् एक ग्राम सभा होगी, जो पंचायत व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर होगी। ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, जो राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा उपबन्धित करेगा।

2. पंचायतों का गठन - प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाएगा, परन्तु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से कम है।

3. पंचायतों की संरचना - पंचायत के तीनों स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन अध्यक्ष पदो के लिए निचले स्तर अर्थात् ग्राम पंचायत को छोडकर मध्य एवं जिला स्तर पर चुनाव चुने सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई विधि के अनुसार होगा।

4. स्थानों का आरक्षण - पंचायतों के तीनों स्तरों मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा इनमें एक-तिहाई आरक्षण महिलाओं का भी होगा।

5. पंचायतों की अवधि - पंचायतों के सभी स्तरों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा, लेकिन इससे पहले भी इसका विघटन किया जा सकता है, लेकिन छः मास के अन्दर चुनाव कराना किसी पंचायत को यदि उसकी अवधि पूर्व विघटित कर नई पंचायत का गठन किया जाता है, तो वह केवल शेष अवधि तक का कार्य करेगी।

6. राज्य निर्वाचन आयेग का गठन - पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का निदेशन और नियंत्रण के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा।

7. राज्य वित आयोग का गठन - प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और जो -

- राज्य द्वारा उद्गृहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच जो उनमें विभाजित किए जाएं, सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्सम्बन्धी आवंटन को।
- ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकेगी।
- राज्य की संचित निधि में पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में।

8. पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व - राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा पंचायती संस्थाओं को समर्थ बनाने के लिए निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध कर सकता है जैसे -

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना।
- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाएं। जिनके अन्तर्गत वे स्कीमें भी ग्यारहवीं सूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में हैं, कार्यान्वित करना।

9. अधिनियम का कुछ क्षेत्रों में लागू न होना - यह अधिनियम निम्न क्षेत्रों में लागू नहीं होगा -

- विशिष्ट अनुवूचित क्षेत्रों और निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में।

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

- नगालैण्ड, मेघालय व मिजोरम राज्यों में।
- मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां किसी विधि के अधीन जिला परिषद् विद्यमान है।
- पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की 'दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् के अधिकार वाले क्षेत्रों में।

## III. ग्यारहवीं अनुसूची

73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविध्यान में एक ग्यारहवीं अनुसूची भी जोडी गई जिसमें कुल 29 विषय हैं, जो पंचायतों के कार्य से सम्बन्धित है।

भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सजीव एवं साकार स्वरूप पंचायतीराज व्यवस्था स्वतन्त्रता के पश्चात ही दृष्टिगोचर हुआ, लेकिन इसकी परिकल्पना को स्वतन्त्र भारत की उपज कहना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, पंचायतीराज की परिकल्पना, स्वरूप एवं उसके माध्यम से ग्रामीण विकास की अवधारणा आज की बात नहीं, अपितु इसका इतिहास वैदिक काल से भी पूर्व का है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में पंचायतीराज की आधारशीला रखने में राश्ट्रपिता महात्मा गांधीजी का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए महात्मा गांधी जी ने आधारभूत लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के रूप में पंचायतीराज की नींव रखी। उन्होंने स्वच्छता एवं साफ-सफाई को गांधीवादी जीवन पद्धति का अभिन्न अंग बताया था। सभी के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता उनका सपना था। वे मानते थे कि भारत शहरों में नहीं गावों में बसता है।

महात्मा गांधी के इस विचार को भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थान देकर त्रिस्तरीय पंचायतीराज को मूर्त रूप प्रदान किया गया। संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा देकर इसे और सशक्त बनाया गया। पंचायतों के कार्यों से सम्बन्धित 11वीं अनुसूची बनाई गयी जिसमें 29 विशय है। यथार्थ में इन सभी 29 विषयों का मूल आधार सफाई एवं स्वच्छता ही है।

महात्मा गांधी प्रत्येक गाँव को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाकर समानता पर आधारित ऐसे राष्ट्र के निर्माण के पक्षधर थे जिसमें अमीरी-गरीबी, जाति, वर्ग, धर्म से सम्बन्धित भेदभाव या विषमताओं को कोई स्थान नहीं था। गांधीजी अक्सर कहा करते थे कि भारत शहरों में नहीं गाँवों मे बसता है। सच्चे मायने में आज भी भारत की अधिकांश जनता गाँवों में ही निवास करती है।

भारत की खुशहाली के लिए गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामवाद, ग्रामीण स्वराज, औद्योगिक विकेन्द्रकरण, शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा, सामाजिक सरसता, सर्वोदय एवं सहकारिता जैसे कार्यो का शुभारम्भ किया गया। महात्मा गांधी ने ग्राम को एक इकाई मानकर कार्य करने पर पुरजोर बल दिया। वे भारत के विकास की योजना को सर्वप्रथम ग्रामीण स्तर से आरम्भ करने के पक्षधर थे। स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान ही नहीं, अपितु आज भी ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में उनके विचारों की सार्थकता यथावत् विद्यमान है।

अपनी अनेक कमियों और दुर्बलताओं के वावजूद पंचायतीराज ग्रामवासियों की जीवन पद्धति का केन्द्र बनता जा रहा है। अशिक्षित जनता, जातिगत और धर्मगत अन्धविश्वास, परम्परागत अलोकतान्त्रिक, सामाजिक और पारिवारिक ढाँचे, परिपक्व राजनीतिक प्रबुद्धता की कमी आदि के कारण पंचायतीराज की उपलब्धियों का कम अंकन करने तथा पंचायतीराज की आलोचना करने की एक सामान्य प्रवृत्ति विकसित हो गई है।

## IV. निष्कर्ष

पंचायतीराज व्यवस्था ने देश के राजनीतिकरण और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके कार्यकलापों ने ग्राम्य जीवन में एक नया जागरण पैदा कर गाँव वालों को शोषित होने से बचाया है। वोट की कीमत समझी जाने लगी है, ग्रामीण जनता की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ी है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकृत संख्याएँ स्वशासन की इकाइयों के रूप में विकसित हो रही है, ग्रामीण नेतृत्व पनपता जा रहा है, गाँवों की अवहेलना करना आसान कार्य नहीं रह गया है।

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

गाँवों के पिछड़े वर्गों में चेतना द्वारा गाँवों की स्विय भी राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने लगी है। राजनीतिक जागृति के साथ सामाजिक चेतना बढ़ी है, छुआछूत और भेदभाव की दीवारों को पंचायतीराज ने जबरदस्त धक्का पहुँचाया है। मजदूर और नौकर कहा जाने वाला व्यक्ति अब पंचायत या पंचायत समिति की अध्यक्षता करता है और बड़े-बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ बैठता है। गाँवों का जागरण राज्य के स्तर की राजनीति पर दबाव डालने में सक्षम हुआ है। जातिगत, धर्मगत और अन्य हित स्थानीय दबाव समूह के रूप में प्रकट होने लगे हैं। दबाव समूह की राजनीति अब नगरों की बपौती नहीं रह गई है।

ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के विषय में नई जानकारी मिली है। गाँव वालों में आत्म-विश्वास की भावना जागृत हुई है और उनमें स्थिति सुधारने के लिए भाग्य भरोसे न बैठकर, कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति पनपी है। पंचायतीराज ने गाँवों में कुछ सीमा तक साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, संकीर्णता, मन-मुटाव आदि को बढ़ावा दिया है, लेकिन इनकी तुलना में पंचायतीराज के लाभ बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। गाँवों में 'आशाओं की क्रान्ति' पैदा हुई है जिसे दबाया नहीं जा सकता है अतः सरकार गाँवों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के प्रति अब निश्चेष्ट कभी नहीं रह सकती।

आज ग्रामीण जन खण्ड विकास अधिकारी के पास जाकर विश्वास के साथ उससे अपनी समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं। भारतीय सन्दर्भ में पंचायतीराज से यह एक मूल्यवान लाभ प्राप्त हुआ है क्योंकि यहाँ शताब्दियों से राजकीय शक्ति जन-साधारण के लिए भय का विषय रही है। पंचायतीराज का प्रारम्भ जनता में आत्म-सहायता की भावना पैदा करने, विकास कार्यक्रमों में जनता को भाग लेने का अवसर प्रदान करने तथा उनमें लाकतान्त्रिक विचारों का प्रसार करने हेतु किया गया था।

यदि पंचायतीराज के लाभ एवं हानियों की एक सूची तैयार की जाए तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि इसका श्रेष्ठतम लाभ जन-जागरण में आत्म- महत्व की अनुभूति को उत्पन्न करना रहा है। पंचायतीराज के परीक्षण की सफलता हमारी जागरूकता तथा समस्याओं का साहस एवं उत्साह से सामना करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगी। प्रारम्भिक चरणों में पंचायतीराज संस्थाओं को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकारियों के महत्त्वपूर्ण परामर्श तथा निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता है।

अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों के अनुकूल स्वयं को बदलना है, किन्तु इन संस्थाओं को वे कार्य नहीं सौंपने चाहिए जो वे कर नहीं सकतीं। उनको केवल वे ही दायित्व सौंपे जाने चाहिए जिनको वे सफलता से निभा सकें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को इन संस्थाओं पर उचित नियन्त्रण रखना चाहिए तथा उनकी देखरेख करनी चाहिए। भविष्य में आशा तथा ग्रामीण जनता की योग्यता में विश्वास इस परीक्षण को सफल बना सकते हैं।

जैसाकि बलवन्त राय मेहता ने कहा है- "ग्रामीण भारत की जनता अनपढ़ बेशक है, किन्तु वह एक महान् पैतृक सम्पत्ति तथा एक महान् संस्कृति की स्वामी है जो समय आने पर यह निश्चित रूप से अपने वास्तविक रूप में आएगी। यदि हमें पंचायतीराज संस्थाओं, अपने ग्रामीणजनों तथा उनके अपने छिपे हुए गुणों का उपयोग करने की क्षमता में विश्वास है तो निश्चित रूप से सफलता उनके हाथ लगेगी।

## संदर्भ सूची

1. अत्तरचन्द (1990) "नेहरू एण्ड इकॉनोमिक आर्डर, पंचायतीराज एण्ड रूरल डवलपमेण्ट", दीप एण्ड पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 43
2. इण्डियन इन्स्टीट्यूट (1972) "केस स्टडीज इन पंचायतीराज ", इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, पृ. 22
3. इण्डिया कमेटी ऑन पंचायतीराज इंस्टीट्यूशन्स (1978) "रिपोर्ट", नई दिल्ली, पृ. 213
4. इण्डिया नेशनल कांग्रेस (1960) "कांग्रेस पार्टी इन पार्लियामेंट स्टैडी टीम ऑन पंचायतीराज इन राजस्थानः रिपोर्ट", नई दिल्ली, पृ. 283
5. कौशिक, सुशीला (सं.) (1990) "भारतीय शासन एवं राजनीति", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ. 130
6. भारत सरकार योजना आयोग (1957) "रिपोर्ट ऑफ दी टीम फॉर दी स्टडी ऑफ कम्यूनिटी डवलपमेंट प्रोजेक्टस एण्ड नेशनल एक्स्टेन्शन सर्विस", पृ. 18

ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| ESTD Year: 2018|

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)

7. माथुर, एम.वी., नारायण, इकबाल और सिन्हा, वी.एम. (1966) "पंचायतीराज इन राजस्थानः ए केस स्टैडी इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट", न्यू देहली, पृ. 7
8. मालवीया, एच.डी. (1956) "विलेज पंचायत इन इण्डिया", आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी, न्यू देहली, पृ. 13
9. मायाराम (1968) "राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स अलवर", गवर्नमेंट सेंट्रल प्रेस, जयपुर, पृ. 2
10. मिश्रा, रूपनारायण (2017) "विलेज सेल्फ गवर्नमेंट इन उत्तरप्रदेश", पी.एच.डी. थीसिस, आगरा यूनिवर्सिटी, पृ. 143
11. मेवाड़ प्रजामंडल पत्रिका (1948) "20 फरवरी", उदयपुर
12. मुखर्जी, कुमुद राधा (2016) "भारत में स्थानीय सरकार", ऑक्सफोर्ड, नई दिल्ली, पृ. 72
13. मुखर्जी, बी. (1956) "पंचायतीराज इन इण्डिया", इंगलिश बुक, चण्डीगढ़, पृ. 123
14. राजपुरोहित, के.एस. (1994) "स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान की आहूतियाँ (1805-1947)", साइन्टिफिक पब्लिशर्स, जोधपुर, पृ. 15
15. राजस्थान पंचायतीराज (2021) "नवीन स्वरूप", ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, पृ.
16. राजस्थान हाई पावर कमेटी ऑन पंचायतीराज (1973) "रिपोर्ट", जयपुर, पृ. 313
17. रेटजॉल्फ, रॉल्फ. एच. (1960) "पंचायतीराज इन राजस्थान", इण्डिया जर्नल ऑफर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू देहली, पृ. 72
18. श्रीवास्तव, पी.के., चौहान, आर.एस. और श्रीवास्तव, एस. (1990) "राजस्थान वार्षिकी 2012", अरविन्द प्रकाशन, उदयपुर, पृ. 1
19. सेंसस ऑफ इंडिया (2001) "सीरिज 9 राजस्थान, प्रॉवीजनल पापुलेशन टोटल्स", डिरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन, जयपुर, पृ. 19

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

# INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

## IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |

www.ijmrset.com